

No.14039/21/2014 - यू. टी. एस-II

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

\*\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001.

दिनांक 19 फरवरी 2014.

सापन

**विषय : श्री आर. पी. दलित द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत मांगी गई सूचना।**

उक्त विषय पर श्री आर. पी. दलित, 3/216, दक्षिण पुरी, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 21.11.2013 भारत सरकार के गृह मंत्रालय की आर. टी. आई. शाखा ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत यू. टी. एस-II अनुभाग को भेजा है तथा यह पत्र यू. टी. एस-II विभाग में 14.02.2014 को प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में, प्रेषक को सूचित किया जाता है कि जो शिकायती पत्र दिनांक 22.03.2013 को उसने माननीय गृह सचिव को भेजा था वह पत्र यू. टी. एस-II अनुभाग में दिनांक 17.05.2013 को प्राप्त हुआ था तथा इस संदर्भ में यू. टी. एस-II अनुभाग ने मुख्य सचिव, नई दिल्ली एवं आयुक्त, दिल्ली पुलिस को दिनांक 22.05.2013 को उनके प्रतिवेदन/टिप्पणी के लिए पत्र लिखा था। यू. टी. एस-II अनुभाग, गृह मंत्रालय द्वारा लिखे गए पत्र के संदर्भ में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय से पत्र स. 9182-84/एचएसी/सी एवं आर दिनांक 06.09.2013 के माध्यम से प्रतिवेदन/टिप्पणी भेजी गयी जो कि दिनांक 13.09.2013 को इस अनुभाग को प्राप्त हुई। प्राप्त प्रतिवेदन/टिप्पणी के अध्ययन के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि यह मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय के यू. टी. पी. अनुभाग से संबन्धित है। अतः उचित कार्यवाही हेतु आपका अभिवेदन पत्र संलग्न दस्तावेजों के साथ गृह मंत्रालय के अवर सचिव (डी. पी. - II) को दिनांक 23.09.2013 को भेज दिया था। अतः प्रेषक की उक्त आर. टी. आई. पावती सी. पी. आई. ओ., डी. पी. - II, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से संबन्धित है। अतः पावती की एक छायाप्रति सी. पी. आई. ओ., डी. पी. - II, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत प्रेषित की जा रही है।

अनुज शर्मा

(अनुज शर्मा)

निदेशक एवं लोक प्राधिकारी

दू. स. 2309 2436

2. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता निम्नलिखित है:

श्री आई. एस. चहल,  
संयुक्त सचिव (यू. टी.),  
गृह मंत्रालय, भारत सरकार  
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001.

श्री आर. पी. दलित,  
3/216, दक्षिण पुरी,  
नई दिल्ली - 110 062.

प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत:

सी. पी. आई. ओ. / अवर सचिव (डी. पी. - II), यू. टी. पी. शाखा, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली। आर. टी. आई. पावती दिनांक 21.11.2013 संलगित है। कृपया आवेदक को आवश्यक जानकारी दें।

अनुज शर्मा

(अनुज शर्मा)

निदेशक एवं लोक प्राधिकारी

दू. स. 2309 2436

Issued with Enclosure
Date..... <u>20.2.14</u>
Sign..... <u>20.2.14</u>

2

# सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथमा पत्र

सेवा में

जन सूचना अधिकारी

गृह मंत्रालय  
भारत सरकार नयी दिल्ली

महोदय,



दिनांक 1/10/13 को मा० गृह मंत्री, भारत को माननीय सांसद श्री हर्ष वर्धन ने एच. दिनांक 5/10/2013 को माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान ने माननीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर ए० डी० सी० पी० रवि शंकर, दक्षिण पश्चिम जिला दिल्ली को गैर कानूनी गैर विधियों तथा इस अन्य मामलों में भी ए० डी० सी० पी० रवि शंकर के खिलाफ माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार को प्रार्थना पत्र दिया गया। इस के अलावा ए० डी० सी० पी० रवि शंकर के खिलाफ दिल्ली को तीस हजारों कोर्ट ने आराधक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।

इसे बताया जाये कि अग्रचार, पद के दुरूपयोग में लिप्त ए० डी० सी० पी० रवि शंकर के खिलाफ क्या कार्यवाई हुई इस के अलावा यह भी बताया जाये कि ए० डी० सी० पी० रवि शंकर को इतनी शिकायत के बाद तरतकी दी जा रही है गृह मंत्रालय द्वारा। ब्यास सलम है।

सूचना डाक द्वारा चाहिए ✓

या आपने प्रथमा पत्र की फीस जमा करा दी है - 135871212

प्रार्थी

आर० पी० दलित

आर० पी० दलित

3/216

दक्षिण पुरी

नयी दिल्ली - 110062

स्थान दिल्ली

दिनांक 21/11/13

C 7378/RTI/13  
10/12/13

भा  
50 (स)  
25/11

CR  
MMP